

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण)

प्रेषक,

आराधना पटनायक,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 25/01/2016

विषय :- मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत साप्ताहिक मेनू में आंशिक संशोधन के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 943 दिनांक 16.6.2015

महाशय,


उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि पूर्व के साप्ताहिक मेनू में आंशिक संशोधन किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.	दिवस	विद्यालय समयावधि	अल्प मध्याह्न (10:30 पूर्वा० से 10:45 पूर्वा०)	मध्याह्न भोजन (01:30 अप० से 02:00 अप०) शनिवार (11:00 पूर्वा० से 11:30 पूर्वा०)
1	सोमवार	08:00 बजे पूर्वा० से 02:00 बजे अप० तक	एक उबला अण्डा/ एक सेब/केला	चावल, दाल एवं हरी सब्जी
2	मंगलवार	08:00 बजे पूर्वा० से 02:00 बजे अप० तक	मुद्दी/ अंकुरित चना एवं गुड़	चावल, छोला या चना की सब्जी
3	बुधवार	08:00 बजे पूर्वा० से 02:00 बजे अप० तक	एक उबला अण्डा/ एक केला	भेज पुलाव हरी सब्जी एवं सोयाबीन बड़ी युक्त/ चावल, दाल एवं हरी सब्जी
4	गुरुवार	08:00 बजे पूर्वा० से 02:00 बजे अप० तक	बिस्कुट दो	चावल, दाल एवं हरी सब्जी
5	शुक्रवार	08:00 बजे पूर्वा० से 02:00 बजे अप० तक	एक उबला अण्डा/ एक संतरा/केला	चावल, दाल एवं हरी सब्जी
6	शनिवार	08:00 बजे पूर्वा० से 11:30 बजे अप० तक	---	खिचड़ी/फराईड राईस (हरी सब्जी)/सोयाबीन बड़ी, पालक युक्त तथा आचार एवं पापड़
(नोट :- सप्ताह में कम से कम एक दिन उबला अण्डा के स्थान पर अण्डा सब्जी (अण्डाकढ़ी) अवश्य दिया जाए)				

• निदेश दिया जाता है कि उक्त के अनुसार ही विद्यालयों में अल्प आहार एवं दोपहर का पका भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

• अल्प आहार की व्यवस्था निर्धारित कुकिंग कॉस्ट एवं अतिरिक्त पोषाहार के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से ही किया जाना है।

विश्वासभाजन,


(आराधना पटनायक)

सरकार के सचिव।